84

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 479 -तीन/2007 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 15-2-2007- पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 143/2003-04 अपील

राजनारायण सिंह पुत्र राधोमन सिंह
ग्राम कंचनपुर तहसील त्योंथर जिला रीवा ——आवेदक

विरूद्ध

राजमणी सिंह पुत्र राधोभान सिंह
ग्राम कंचनपुर तहसील त्योंथर जिला रीवा ——अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री डी0एस0चौहान)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित -एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 17-7- 2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 143/2003-04 अपील में पारित आदेश. दिनांक 15-2-2007 के विरूद्ध म0प्र0 भू रा0 संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है आवेदक ने अपर तहसीलदार जवॉ को आवेदन प्रस्तुत कर उभय पक्ष की सामिलाती भूमि के बटवारे की मांग की। अपर तहसीलदार जवा ने प्रकरण कमांक 38 अ-27/2001-02 पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 20-8-2002 पारित करके दोनों पक्षों के बीच बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने प्रकरण कमांक 321/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-7-03 से अपील

अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 143/2003-04 अपील में पारित आदेश. दिनांक 15-2-2007 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर पुनः विधिवत् आदेश पारित करने हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय में प्रत्यावर्तित किया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश. के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक एंव अनावेदक दोनों सगे भाई हैं। दोनों के नाम सामिलाती खाता है एंव धारित कृषि भूमि पैत्रिक संपत्ति है। तहसील न्यायालय व्दारा दोनों पक्षों के बीच सही बटवारा किया है परन्तु अपर आयुक्त रीवा संभाग ने बिना किसी कारण के बराबर बराबर वांटी गई भूमि के पुनः हिस्सा बांट करने एंव पक्षकारों को मुकदमेवाजी में उल्झाया है इसलिये अपर आयुक्त का त्रृटिपूर्ण आदेश निरस्त किया जाय।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अपर तहसीलदार जवा के आदेश दिनांक 20-8-2002 , अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के आदेश दिनांक 31-7-03 तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश. दिनांक 15-2-2007 का अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 15-2-07 में विवेचना की है कि बटवारा पुल्ली दिनांक 9-7-02 से नामान्तरण चाहा गया है। अनावेदक के नाम सहखातेदार के रूप में बताया गया है परन्तु अपीलांट अर्थात राजमणि को व्यक्तिगत नोटिस तामील नहीं कराया गया है। तहसील न्यायालय ने दिनांक 16-4-02 को एकपक्षीय कार्यवाही की है। पटवारी ने बटवारा पुल्ली कब्जे के आधार पर तैयार करना बताया है जबकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 में बटवारा कब्जे के आधार पर नहीं किया जाता है अपितु समान अंशो के आधार पर किया जाता है जिसके कारण असमान बटवारा पाये जाने से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 143/2003-04 अपील में पारित आदेश

दिनांक 15-2-2007 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु एंव संहिता की धारा 178 में दिये गये बटवारा नियमों के अनुरूप बटवारे करने के उद्वेश्य से प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है। तहसील न्यायालय में दोनों पक्षों को पक्ष प्रस्तुत करने , लेखी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश. दिनांक 15-2-2007 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 143/2003-04 अपील में पारित आदेश. दिनांक 15-2-2007 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर .